अपर समाहर्त्ता का न्यायालय, बोकारो।

विविध 4 (h) वाद संख्या–114 / 2019–20
(अंचल अधिकारी चास बनाम् फेंकन महतो)

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई के टिप्पणी तारीख
7/3/20	अभिलेख उपस्थापित। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चास /अनुमंडल पदाधिकारी, चास के माध्यम से अंचल अधिकारी, चास का विविध 4(h) वाद संख्या संख्या 64 जमाबंदी रद्द करने से संबंधित अभिलेख प्राप्त हुआ है। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा योगीडीह के खाता नं0–29, प्लॉट नं0 452, रकवा–1.90 ए0 की जमाबंदी पंजी II के पृष्ट संख्या 04 / 162 में फेंकन महतो का नाम दर्ज है। पंजी II में चल रही जमाबंदी को संदेहास्पद मानते हुए रद्द करने की अनुशंसा की गयी है। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अंचल अधिकारी, चास के द्वारा विधिवत जमाबंदी रैयत फेंकन महतो. पिता–जुगल महतोको नोटिस निर्गत कर अभिलेख संधारित करते हुए सुनवाई की गयी है। अंचल अधिकारी, चास द्वारा अपने अभिलेख में वर्णित किया गया है कि जमाबंदी रैयत द्वारा जमींदारी उन्मूलन के पूर्व का कागजात यथा–रिटर्न–1, भूमि बंदोवस्ती से संबंधित हुकुमनामा, एम फार्म, जमींदारी रसीद से संबंधित कोई भी कागजात दाखिल नहीं किया गया है। प्रश्नगत भूमि गैरमजरूआ खास खाते की सरकारी भूमि है। जमाबंदी पंजी II के पृष्ट संख्या –04 / 162 में फेंकन महतो के नाम से कायम है। भूमि का किस्म पुरातन पतित दर्ज है। भूमि की जमाबंदी पंजी II में बिना किसी सक्षम पदाधिकारी के आदेश पर कायम किया गया है, जो संदेहात्मक है। अंचल अधिकारी, चास द्वारा मौजा योगीडीह, थाना नं0–47 खाता नं0–29, प्लॉट नं0–452 रकवा–1.90 ए0 भूमि जिसका किस्म पुरातन	

Scanned by CamScanner

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

पतित है, जिसका जमाबंदी जमाबंदीधारी फेंकन महतो के नाम से पंजी II के पृष्ट संख्या 04 / 162 की जमाबंदी को संदेहात्मक मानते हुए बिहार/झारखण्ड भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत् जमाबंदी रद्द करने की अनुशंसा की गयी है।

अंचल अधिकारी, चास /भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चास /अनुमंडल पदाधिकारी, चास द्वारा किये गये अनुशंसा पर प्रतिपक्षी फेंकन महतो पिता–जुगल महतो को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया, जिसका तामिला प्रतिवेदन अभिलेख में संधारित है। सुनवाई के दौरान प्रतिपक्षी उपस्थित रहे हैं। इनके द्वारा कागजात उपलब्ध कराया गया एवं लिखित जबाव दिया गया, जिसमें बताया गया है कि प्रतिपक्षी को जोत पट्टा के माध्यम से भूमि प्राप्त है तथा अंचल कार्यालय से लगान रसीद निर्गत है।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि संबंधित भूमि गैरमजरूआ खास खाते की भूमि है, जो पूर्ण रूप से सरकारी भूमि है। इस भूमि का किसी व्यक्ति विशेष का जमाबंदी कायम होना पूर्ण रूप से अवैध है।

अनुमंडल पदाधिकारी, चास के द्वारा किये गये अनुशंसा एवं सुनवाई के दौरान प्रतिपक्षी के लगातार अनुपस्थित रहने की स्थिति में मौजा–योगीडीह, थाना–47, खाता नं0–29, प्लॉट नं0–452 रकवा–1.90 ए0 भूमि की पंजी II के पृष्ट संख्या 04 / 162 में फेंकन महतो के नाम से चल रही जमाबंदी को अवैध/संदेहात्मक मानते हुए BLR Act 1950 की धारा 4(h) के तहत् रद्द की जाती है।

रद्द की गई जमाबंदी की सम्पुष्टि सरकार से प्राप्त करने हेतु अभिलेख आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग को भेजें।

अपर समाहर्त्ता,
बोकारो।

उपायुक्त,
बोकारो।

Scanned by CamScanner